फ़ाइल संख्या: ए-54 /164/2017 -सीडीएन

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(समन्वय अनुभाग)

उद्योग भवन, नई दिल्ली,

दिनांक: 7 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : जीएसटी लागू करने के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के संसंख्यक कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 22.5.2017 का संदर्भ ग्रहण करने और जीएसटी लागू करने के संबंध में की जाने वाली निम्नलिखित कार्रवाई की सूचना देने का निर्देश प्राप्त हुआ है :-

(i) जीएसटी को सुचारु रूप से लागू करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लाभार्थ मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मंत्रालय की ओर से एक द्वारा एक विज्ञापन जारी किया जाएगा । विज्ञापन एनएसआईसी द्वारा जारी किया जाएगा और सीबीईसी एमएसएमई सेक्टरल ग्रुप के साथ-साथ उद्योग विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच की जाएगी ।

(ii) मंत्रालय के नियंत्रणाधीन डीसी कार्यालय, एनएसआईसी, केवीआईसी और कयर बोर्ड के विभिन्न राज्य कार्यालयों द्वारा राज्य सरकारों और राज्यों के सीबीईसी कार्यालयों के साथ जीएसटी पर जागरूकता कार्यक्रम ,जागरूकता-सह-प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जारी रहेगा ।

(iii) मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालय अपनी-अपनी वेबसाइट पर एक स्क्रॉलिंग संदेश प्रदर्शित करेंगी जिसके अंतर्गत अकसर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) से संबन्धित लिंक का विवरण,विडियो क्लिप एवं जीएसटी दर शामिल होंगी ।

(iv) मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के सभी रिटेल आउटलेटस को हमेशा दर सूची प्रदर्शित करनी चाहिए और बिलों पर लागू जीएसटी दरों को शामिल करने हेतु अपनी मशीनों की भी जांच करनी चाहिए।

(v) मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के जीएसटी प्रकोष्ठ को जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर विशेष रूप से पंजीकरण, एमएसएमई हेतु जीएसटीआईएन जारी करने, उपभोक्ताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों और आवश्यक वस्तुओं की कमी के संबंध में दैनिक रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए । जीएसटी प्रकोष्ठ को

यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास जीएसटी दरों और बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों पर अधिसूचना की नवीनतम प्रति उपलब्ध है, ताकि वे एमएसएमई द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में हो । किसी भी संदेह की स्थिति में इसे तुरंत मंत्रालय को अवगत कराया जाएगा ।

2. यह भी सूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग , केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने नॉर्थ ब्लॉक, दिल्ली में जीएसटी फीडबैक एवं एक्शन रूम स्थापित किया है, जो सुबह 08 बजे से रात्रि 10 बजे तक सेवाएँ प्रदान करने हेतु खुला रहेगा । जीएसटी कार्यान्वयन से जुड़ी त्वरित ध्यान देने की आवश्यकता वाले किसी भी समस्या की सूचना सरकार विभाग फोन नंबर 011-230 9 4160/61/62 और 011-230 9 4168/69 पर दे सकते हैं अथवा और gst..actionroom@gov.in पर भी ईमेल कर सकते हैं ।

ह.
(भास्कर कालरा)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन नंबर 23063293

प्रति,

1. डॉ. पी.जी.एस.राव, निदेशक (एसएमई) ।
2. श्री आर.आर.मीना, उप सचिव (एआरआई) कयर अनुभाग ।
3. श्री समर नंदा, उप सचिव (एआरआई) एआरआई विभाग ।
4. श्री ए.के. चौबे, उप सचिव (ईडीआई) ।
5. डीसी कार्यालय (एमएसएमई)(श्री आर.सी.तुली), निर्माण भवन,नई दिल्ली ।
6. मुख्य प्रबंध निदेशक (श्री रवीद्र नाथ), एनआईएससी, नई दिल्ली -110020 ।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (श्रीमती अंशु सिन्हा) केवीआईसी, इर्ला रोड, मुंबई ।
8. डीजी (श्री एम.चन्द्रशेखर रेड्डी) एनआईएमएसएमई, हैदराबाद-500045 ।
9. निदेशक, एमजीआईआरआई (श्री पी.बी. काले) वर्धा, महाराष्ट्र -442001 ।
10. सचिव , कयर बोर्ड, कोची -682016 ।